

05 शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी के 10 मोबाईलफोन, लूट में प्रयुक्त 02

मोटरसाइकिल बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिणटोला पुलिस को उस समय अहम सफलता लगी जब जरिये मुखबिर की सूचना पर ग्राम शाहपुर के पास से दिखायी दे रहे संदिग्ध व्यक्ति के करीब पहुंचे कि अचानक पुलिस को देखकर सकपकाकर भागने का प्रयास किया कि मौजूद पुलिस बल द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उक्त द्वारा अपना नाम मंगल गुप्ता पुत्र महेन्द्र गुप्ता निवासी शाहपुर थाना कोपागंज मऊ बताया गया। तलाशी के दौरान बरामद मोबाईलफोन को खोलकर चेक किया गया तो उक्त मोबाईलफोन थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 165/21 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित पायी गयी। उक्त मोबाइल के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि यह मोबाईल दिनांक 23.09.2021 को शशीचंद्र विश्वकर्मा पुत्र स्व0 रामबदन से अदरी बाजार से उसके दुकान से 13 हजार रुपये में खरीदा हूँ जिसका चार्जर व रसीद बाद में देने को कहा है। तत्पश्चात मंगल गुप्ता को साथ लेकर उक्त दुकानदार से मोबाइल के विक्रय के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि यह मोबाइल मुझे रोहित सिंह पुत्र अशोक सिंह व मान सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह निवासीगण इन्दारा अदरी कोपागंज मऊ ने मुझे लाक तोड कर पैसे की जरूरत बताकर 10 हजार रुपये में बेचा था जिसे मैंने मंगल को तेरह हजार रुपये में बेचा था। इसी दौरान शशी चन्द्र विश्वकर्मा की जामा तालासी ली गयी तो उसके दाहिने हाथ में एक अदद मोबाइल VIVO हल्का पीले रंग वरामद हुई जिसके सम्बन्ध में पुछने पर अपनी मोबाइल बता रहा है। जिससे कड़ाई से पूछने पर बता रहा कि साहब रोहित सिंह एवं मान सिंह मुझे छः मोबाइल और मुझे दिये हैं जिसे कम मूल्य पर खरीदा हूँ जिसका लाक तोडकर बेचने के लिए अपने दुकान में रखा हूँ उसने अपने भाई सन्तोष विश्वकर्मा से मगवा कर दिया जो क्रमशः 1. VIVO सेल फोन व रंग काला 2. टेक्नो वरग स्लेटी 3. नोकिया वरंग काला 4. टेक्नो 3050 बरंग काला 5. हुवाई वरंग आसमानी 6. VIVO व रंग आसमानी है। उक्त मोबाइलों के कागजात तलब किया गया तो नहीं दिखा सका। शशी चन्द्र विश्वकर्मा ने बताया कि साहब रोहित सिंह व मान सिंह विभिन्न क्षेत्रों से मोबाइल चोरी एवं लूट करके मुझे कम मूल्य में बेचते हैं मैं पैसे के लालच में लाभ लेकर ग्राहको को अधिक मूल्य पर बेच देते हैं मैं रोहित सिंह व मान सिंह को पकडवा सकते हैं एवं इनके साथ प्रिंस यादव पुत्र रविन्द्र यादव निवासी निजामुद्दीनपुर शहर मऊ भी मोबाइल लूटेरा है जिसे भी पकडवा सकता हूँ एवं जिस गाडी से ये लोग लूट करते हैं उसे बरामद करवा सकता हूँ जो कासिमपुर, कोपागंज की तरफ घूम फिर कर मौका पाकर लूट की घटना करते हैं तत्पश्चात शशी चन्द्र विश्वकर्मा को साथ लेकर उसके बताये हुए रास्ते से चलकर सुरागरसी एवं पता रसी व तलाश करता हुआ वहद ग्राम रैनी पुलिया के करीब पहुँचा कि थोड़ी दूर पर दो मोटर साइकिल के पास नवयुवक दिखाई दिये जिसे देखते ही शशी चन्द्र विश्वकर्मा ने इशारा करके बताया कि साहब यही रोहित सिंह, मान सिंह एवं प्रिंस यादव है कि कर्मचारीगण की मदद से घेर कर पकडने का प्रयास किया गया तो पांचो नवयुवक इधर-उधर भागने लगे कि समय 21.10 बजे 3 नवयुवकों को घेर कर पकड लिया गया एवं 03 नवयुवक अन्धेरे एवं भौगोलिक स्थिति का लाभ उठा कर भागने में सफल हो गये । पकडे गये नवयुवको से क्रमशः नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम शिवम् सोनकर पुत्र विनोद सोनकर निवासी शाही कटरा थाना कोतवाली शहर मऊ बताया जिसकी जामा तलासी ली गयी तो उसके कब्जे से एक अदद मोटर साइकिल फैंसन प्लस नं0 UP61 D 9719 बरामद हुई तथा दूसरे ने अपना नाम रोशन कुमार पुत्र लल्लन प्रसाद निवासी पतिला

थाना कोपागंज मऊ बताया जिसकी जामातलासी ली गयी तो उसके दाहिने हाथ में एक अदद VIVO मोबाइल वरामद हुई तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम आशीष उर्फ सत्या सोनकर पुत्र सिरी सोनकर निवासी महरनिया थाना कोतवाली मऊ बताया जिसकी जामा तलासी ली गयी तो उसके कब्जे से एक अदद ग्लैमर मोटर साइकिल विना रजिस्ट्रेशन चेचिस नं० M- BLJW157MCD04585 एवं उसके दोनो हाथों में दो अदद मोबाइल बरामद हुई। पकड़े गये तीनों व्यक्तियों से भागने वालो का नाम पता एवं भागने का कारण पूछने पर सभी ने बताया कि साहब भागने वाले मेरे परिचित मान सिंह एवं प्रिंस यादव तथा रोहित सिंह थे, ये लोग इसी मोटर साइकिलो से इसी क्षेत्र से आने जाने वालों से मोबाइल एवं पैसा लूट करके हम लोगों को खाने पीने के लिए पैसा देते थे। पकड़े गये शिवम् सोनकर ने बताया कि साहब फ़ैसन प्लस मोटर साइकिल मेरी है तथा आशीष उर्फ सत्या सोनकर ने बताया कि ग्लैमर मोटर साइकिल मेरी है यही दोनो मोटर साइकिल से प्रिंस यादव, रोहित सिंह एवं मान सिंह हम लोगो मांग कर लूट करते है लूटी गयी मोबाइल बेच कर हम लोगो को खर्चा देते रहते हैं। रोशन कुमार ने बताया कि साहब मै रैकी करके लूट करने का स्थान चिन्हित करता हूँ। आज प्रिंस यादव व रोहित सिंह तथा मान सिंह हम लोगो को मोटर साइकिल देने के लिए यहाँ बुलाये थे। वे लोग आप लोगों को देखकर पकड़े जाने की डर भाग गये तथा हम लोग पकड़े गये।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण—

1. मंगल गुप्ता पुत्र महेन्द्र गुप्ता निवासी शाहपुर थाना कोपागंज मऊ।
2. सतीश चंद्र विश्वकर्मा पुत्र स्व० रामबदन निवासी अदरी बाजार कोइरीटोला थाना कोपागंज मऊ।
3. शिवम सोनकर पुत्र विनोद सोनकर निवासी शाही कटरा थाना कोतवाली मऊ।
4. रोशन कुमार पुत्र लल्लन प्रसाद निवासी पतिला थाना कोपागंज मऊ।
5. आशीष उर्फ सत्या सोनकर पुत्र सिरी सोनकर निवासी महरनिया थाना कोतवाली मऊ।

बरामदगी—

1. लूट/चोरी 10 मोबाइलफोन। (विभिन्न कंपनियों के)
2. लूट में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल (ग्लैमर व पैशन प्लस)।

एक दुराचारी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

थाना मधुबन पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.09.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चक्कीमूसडोही रोड से मु०अ०सं० 487/21 धारा 376ए(बी) भादवि व 5/6 पोस्को एक्ट में वांछित अभियुक्त राजू चौहान पुत्र दीपचंद निवासी चक्कीमूसडोही थाना मधुबन मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।